Phone: 08986608161
0651-2526140
0651-2526021
0651-2526023
Fax: 0651-2526150
E-mail: dir_ifp@icfre.org
ifpranchi2018@gmail.com

वन उत्पादकता संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत निकाय)
लालगुटवा, एन.एच.-23, गुमला रोड, राँची-835 303 (झारखण्ड)
INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY
(Indian Council of Forestry Research & Education)
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India)
Lalgutwa, Gumla Road, N.H.- 23, Ranchi- 835303 (Jharkhand)

फाईल संख्या स्थापना-III-103/2016-2017/1666

दिनांक 03 जनवरी 2019 04

भर्ती अधिसूचना
विज्ञापन सं. आई.एफ.पी./2019 - I

वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, गुमला रोड, एन.एच.-23, राँची - 835 303 (झारखंड) में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए अपेक्षित योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद आई.सी.एफ.आर.ई. के संस्थानों / केंद्रों में अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व रखते हैं। विस्तृत जानकारी (आवेदन प्रपत्र, नियम और शर्तें, प्रोफार्मा आदि) हमारी आधिकारिक वेबसाइट **http://ifp.icfre.gov.in or http://icfre.org** से डाउनलोड की जा सकती हैं।

जिन आवेदकों ने विज्ञापन संख्या IFP / 2018-I दिनांक 10.09.2018 के तहत इन पदों के लिए पहले आवेदन किया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
1.	**ड्राइवर (साधारण ग्रेड)**	सातवाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेबल-2 वेतनमान रू. 19,900-63,200	2	1	1	--
2.	**वन रक्षक**	सातवाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेबल-1 वेतनमान रू. 18,000-56,900	4	2	1	1
		कुल	**6**	**3**	**2**	**1**

(डॉ. नितिन कुलकर्णी)
निदेशक

पद, आयु और योग्यता का विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	योग्यता
1.	**ड्राइवर (साधारण ग्रेड)** सातवाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेबल-2 वेतनमान रू. 19,900-63,200	**I. शैक्षिक योग्यता** क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक ख) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस ग) मोटर कार चलाने का तीन साल या उससे अधिक का अनुभव **II. वांछनीय** क) मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहनों में मामूली सुधार कार्य करने में सक्षम होना चाहिए) ख) भारी मोटर वाहन लाइसेंस (HMV) **III. आयु सीमा** 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं। विभागीय उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष तक की आयु में छूट दी जाएगी। ओ.बी.सी. के लिए आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत होगी। अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एस.सी. / ओ.बी.सी. उम्मीदवार को कोई आयु छूट नहीं दी जाएगी । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए छूट।
2.	**वन रक्षक** सातवाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेबल-1 वेतनमान रू. 18,000-56,900	**I. शैक्षिक योग्यता** क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ख) अग्निशमन में प्रमाण पत्र **II. वांछनीय** क) होमगार्ड प्रशिक्षण ख) संबंधित ट्रेड में अनुभव **III. शारीरिक मानक** **पुरुष :** क) 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चाल ख) ऊँचाई न्यूनतम 165 से.मी. ग) विस्तार के बिना छाती 79 से.मी और विस्तार के साथ 84 से.मी **महिला :** क) 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चाल ख) ऊँचाई न्यूनतम 150 से.मी. ग) विस्तार के बिना छाती 74 से.मी और विस्तार के साथ 79 से.मी **IV. आयु सीमा** 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं। विभागीय उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष तक की आयु में छूट दी जाएगी। ओ.बी.सी. के लिए आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत होगी। अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एस.सी. / ओ.बी.सी. उम्मीदवार को कोई आयु छूट नहीं दी जाएगी । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए छूट।

निदेशक / Director
वन उत्पादकता संस्थान
Institute of Forest Productivity
राँची / Ranchi-835303

सामान्य निर्देश :

1. केवल न्यूनतम योग्यता और अनुभव को पूरा करना उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाये जाने के लिए अधिकृत नहीं करेगा|
2. इस विज्ञापन के जवाब में नियत तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों को एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा जिसे स्क्रीनिंग समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है| शॉर्टलिस्टिंग पर निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, राँची का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
3. यदि उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उन्हें आवश्यक शुल्क, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि इत्यादि के साथ अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे| एक ही आवेदन में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन वाले लिफ़ाफ़े को "________________________ के पद के लिए आवेदन" के रूप में उपरिलिखित किया जाना चाहिए। जिस लिफ़ाफ़े पर उपयुक्त पद के लिए उपरिलिखित नहीं किया गया है उस लिफ़ाफ़े को आगे की जांच के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले सरकारी सेवकों को अपने आवेदन को "उचित चैनल के माध्यम से" नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" **(Annexure-I)** संलग्न करते हुए अग्रेषित किया जाना चाहिए | यदि वे चाहें तो नियत तारीख तक आवेदन की अग्रिम प्रति भेज सकते हैं। अग्रेषण प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लें कि अधिकारी के चयन की स्थिति में उन्हें 'नियुक्ति-पत्र' में निर्दिष्ट तिथि के भीतर भारमुक्त कर दिया जाएगा।
6. **आवेदन शुल्क**: किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी गैर-वापसी रू.300/- (तीन सौ रुपये केवल) के डिमांड ड्राफ़्ट जो निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान के पक्ष में राँची में देय, को आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। आवेदन शुल्क के भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है। अनुसूचित जाति / महिला उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
7. सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए आवेदन, शैक्षिक और तकनीकी योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, एस.सी. / ओ.बी.सी. वर्ग से संबंधित हाल के दावे, अनुभव आदि के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रमाण पत्र स्थानीय भाषा में है तो इसका अंग्रेजी संस्करण / अनुवाद संस्करण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र पर एक तस्वीर चिपकाए जाने के अलावा, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ तस्वीर के पीछे बड़े अक्षरों में अपने नाम एवं पद के नाम अंकित करते हुए दो अतिरिक्त समान तस्वीरों को भेजने होंगे|
8. **निम्नलिखित कारणों के कारण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा** :

i) अपूर्ण या अस्पष्ट, और निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया,
ii) अहस्ताक्षरित / दिनांकरहित / बिना फोटोग्राफ (बिना अतिरिक्त फोटो),
iii) SC / OBC के संबंध में उचित प्रमाण पत्र (DoPT द्वारा निर्धारित) के बिना,
iv) कम आयु वाले और अधिक आयु वाले उम्मीदवार,
v) आवेदन जमा करने के समय अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का नहीं होना,
vi) गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षिक योग्यता,
vii) नियत तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदन,
viii) निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन,
ix) किसी भी अन्य अनियमितता जैसे कटे-फटे या क्षतिग्रस्त आवेदन / दस्तावेज आदि,
x) एक आवेदन में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन।

9. सभी पदों के लिए शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों (जिनके आवेदन पत्र सही तरह से भरे हुए हों) को अलग से लिखित परीक्षा के लिए तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा।
10. आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी **04.02.2019** होगी।

निदेशक / Director
वन उत्पादकता संस्थान,
Institute of Forest Productivity,
राँची / Ranchi-835303

11. इच्छुक / योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र 'निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, एन.एच.-23, गुमला रोड, राँची-835303 (झारखंड) में जमा कर सकते हैं ताकि **04.02.2019** को या उससे पहले पहुँच सकें जो कि आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भी होगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लाहुल और स्पीति जिलों और चंबा जिले के पणजी उप प्रभाग या हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **15.02.2019** है। नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन, अहस्ताक्षरित आवेदन, अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह संस्थान डाक ट्रांज़िट के दौरान किसी भी डाक-विलंब या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. सीधी भर्ती पर चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा **01.01.2004** से शुरू की गई नई पेंशन योजना के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
13. केंद्रीय सरकार के विभागों में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होगी । ICFRE और इसके संस्थानों / केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
14. किसी भी प्रकार का पत्राचार और अंतरिम पूछताछ किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी।
15. आवेदक द्वारा किसी भी रूप में उपार्थना करना उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करेगा।
16. निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, राँची, पदों को बढाने या घटाने या बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी विज्ञापित पदों को नहीं भरने का अधिकार रखते हैं।
17. कानूनी विवाद, यदि कोई हो, तो सक्षम न्यायालय राँची, झारखंड के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
18. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कौशल / शारीरिक परीक्षण के आधार पर होगा।
19. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, उम्मीदवारों को निम्नलिखित कौशल / शारीरिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा:

ड्राइवर (साधारण ग्रेड) : चालन परीक्षा (ड्राइविंग टेस्ट)

वन रक्षक

पुरुष :

क) 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चाल
ख) ऊँचाई न्यूनतम 165 से.मी.
ग) विस्तार के बिना छाती 79 से.मी और विस्तार के साथ 84 से.मी

महिला :

क) 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चाल
ख) ऊँचाई न्यूनतम 150 से.मी.
ग) विस्तार के बिना छाती 74 से.मी और विस्तार के साथ 79 से.मी

20. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि लिखित परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अयोग्यता का पता लगाया जाता है, तो विज्ञापन में दिए गए नियमों और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी भी चरण में किसी भी अन्य जानकारी / दस्तावेजों का अनुपालन उसमें निर्दिष्ट समय के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो उसका/उसकी उम्मीदवारी रद्द होने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा । ऐसी स्थिति में उम्मीदवारी अगर रद्द होती है तो इसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

निदेशक / Director
वन उत्पादकता संस्थान,
Institute of Forest Productivity,
राँची / Ranchi-835303

ANNEXURE-I

(In the case of Govt. employees)

Certificate to be furnished by the Employer / Forwarding Authority

Certified that:

i) The particulars furnished by Shri / Smt. ____________________________ are correct.

ii) There is no vigilance/disciplinary case either pending or contemplated against him/her.

iii) Integrity of the applicant is certified.

iv) Photocopies of the up-to-date ACRs attested by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Govt. of India are enclosed.

v) In the event of his/her selection, there is no objection to relieve /spare him/her within the time specified in the offer of appointment.

Date: (Signature of the Head of the Department/Forwarding Authority)

Department / Office with seal

Telephone No.____________________

ANNEXURE-II

FORM OF SCHEDULED CASTE / TRIBE CERTIFICATE

This is to certify that Shri / Shrimati*/Kumari* ___________________________________ son/daughter* of ___________________________________ village/town* _______________________ in District/Division* ____ of the State/Union Territory* _________________________ belongs to the _______________________ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:

*The Constitution (Scheduled Castes) Orders, 1950: *The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; *The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1950; *The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951: {as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956, the Bombay Recognisation Act, 1960, the Punjab Recognisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Recognisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976} *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Order, 1956; *The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; *The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; * The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970. *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978. *The constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Orders, amendment Act, 1991. *The Constitution (Scheduled Tribes) order Second Amendment Act, 1991.

2. This certificate is issued o the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati*/Kumari* ____ father/mother of Shri/Shrimati/Kumari ___________________________________ of village/town_______________ in District/Division __________________ of the State/Union Territory ______________________ who belongs to the Caste/Tribe which is recognised as Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory ______________________ issued by the ______________________________dated____________.

3. Shri/Shrimati/Kumari____ and or his/her family ordinarily reside(s) in village/town _____________________________of ________________ District/Division of the State/Union Territory of____________________________.

Signature ________________
Designation
____
(With seal of office) State/Union Territory)

Place _________________
Date __________________

ANNEXURE-III

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumar ________________________________ son/daughter of ____________________________ of village/town __________________________________ in District/division _______________________ in the State/Union Territory ____________________________ belongs to the ___________________________ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.__________________________________ dated ____________________. Shri/Smt./Kumari _______________________________________ and /or his/her family ordinarily reside(s) in the _____________________ District/Division of the __________________ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993.

District Magistrate
Deputy
Commissioner etc.

Dated:

Seal

वन उत्पादकता संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)
लालगुटवा, एन.एच.-23, गुमला रोड, राँची-835 303 (झारखण्ड)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाए

______________________ पद के लिए आवेदन

1. विज्ञापन संख्या :
2. आवेदन शुल्क की राशि : रू.________; डी.डी. संख्या________________; दिनांक ____________;
   बैंक का नाम ________________________________
3. आवेदक का नाम (in Block Letters) :
4. पिता / पति का नाम :
5. जन्म तिथि :
6. **04.02.2019** को उम्र : वर्ष ____________ माह ____________ दिन __________
7. राष्ट्रीयता :
8. SC / OBC (निर्दिष्ट करें) :
9. लिंग: पुरुष / महिला :
10. पत्राचार का पता :
11. मोबाइल संख्या :
12. ई-मेल पता :
13. आधार संख्या :
14. शैक्षणिक योग्यता

उत्तीर्ण की गई परीक्षा	वर्ष	बोर्ड / विद्यालय / विश्वविद्यालय	कुल अंक	प्राप्तांक	ग्रेड %

15. कोई अन्य योग्यता, यदि कोई हो :
16. अनुभव, यदि हो :
17. मैं एतदद्वारा घोषित करता / करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है और कुछ भी छिपाया या विकृत नहीं किया गया है। यदि किसी भी समय, मुझे किसी भी सूचना सामग्री को छिपाने / विकृत करने के लिए पाया गया, तो इसे मेरी नियुक्ति समाप्ति के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा।
18. स्थान :
19. दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर